राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।

क्रमांकःएफ–8(1–ए)प्राशिनि/ई–1/सी–5/2022/7785 दिनांकः– 23/8/2024

प्रधानाचार्य,
राजकीय सह–शिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,
समस्त।

विषयः– विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत **प्रवक्ता, तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रारूपकार** के रिक्त पदों के विरूद्ध गेस्ट फेकल्टी से कार्य करवाने हेतु दिशा–निर्देश जारी करने बाबत्।

संदर्भः– वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 30.03.2021 व 07.08.2023 एवं संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ1(23)त.शि./2014–00833 दिनांक 22.08.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्रों एवं पत्र के क्रम में लेख है कि शिक्षा सत्र 2022–23 में निदेशालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 8933 एवं 8930 दिनांक 30.08.2022 द्वारा तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राजकीय सहशिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रवक्ता, तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रारूपकार के रिक्त पदों के विरूद्ध गेस्ट फेकल्टी अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये ''विद्या संबल योजना'' के संबंध में दिशा–निर्देश समस्त संस्था प्रधानों को जारी किये गये थे।

अतः निदेशालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 6610 दिनांक 10.08.2023 एवं प्रशासनिक का उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 22.08.2024 की प्रति संलग्न कर लेख है कि विगत शिक्षा सत्र 2022–23 एवं 2023–24 में जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही विद्या संबल योजना के अन्तर्गत नियमित स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध गेस्ट फेकल्टी से कार्य करवाने हेतु शिक्षा सत्र 2024–25 के लिए कार्यवाही करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

निदेशक, तकनीकी शिक्षा

क्रमांकःएफ–8(1–ए) प्राशिनि/ई–1/सी–5/2022/7786 दिनांकः–23/8/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 22.08.2024 के क्रम में।
2. मुख्य लेखाधिकारी, कार्यालय हाजा।

Document certified by ANSHU KUMAR SAHGAL <DTE_RAJ@RAJASTHAN.GOV.IN>.
Digitally Signed by ANSHU SAHGAL
Designation : Director
Date :23-08-2024 04:43:18

RajKaj Ref No.: 9986313

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।

कमांकःएफ–8(1–ए)प्राशिनि/ई–1/सी–5/2022/ 6610 दिनांकः– 10/8/2023

प्रधानाचार्य,
राजकीय सह–शिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,
समस्त।

विषयः– विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत **प्रवक्ता, तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रारूपकार** के रिक्त पदों के विरूद्ध गेस्ट फेकल्टी से कार्य करवाने हेतु दिशा–निर्देश जारी करने बाबत्।

संदर्भः– संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र कमांक एफ.1(23)त.शि./2014 दिनांक 08.08.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि शिक्षा सत्र 2022–23 में निदेशालय के समसंख्यक पत्र कमांक 8933 एवं 8930 दिनांक 30.08.2022 द्वारा राजकीय सहशिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रवक्ता, तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रारूपकार के रिक्त पदों के विरूद्ध गेस्ट फेकल्टी अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये ''विद्या संबल योजना'' के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

उक्त के संबंध में यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि शासन सचिव, वित्त (बजट), वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र कमांकः प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 07.08.2023 के द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र कमांक प. 6(2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 30.03.2021 के बिन्दु संख्या 5 को प्रतिस्थापित किया गया है।

अतः वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 07.08.2023 की प्रति संलग्न कर लेख है कि इस परिपत्र एवं विगत शिक्षा सत्र 2022–23 के लिए निदेशालय द्वारा जारी उक्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत नियमित स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध गेस्ट फेकल्टी से कार्य करवाने हेतु शिक्षा सत्र 2023–24 के लिए कार्यवाही करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(आलोक बंसल)
निदेशक, तकनीकी शिक्षा

कमांकःएफ–8(1–ए) प्राशिनि/ई–1/सी–5/2022/ 6611-12 दिनांकः– 10/8/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को उनके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 08.08.2023 के कम में ।
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय हाजा।

Signature valid
Digitally signed by Alok Bansal
Designation: Joint Director
Date: 2023.08.10 17:35:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4487526

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 1(23)त.शि./2014–00833 **जयपुर, दिनांक**

निदेशक,
तकनीकी शिक्षा निदेशालय,
जोधपुर।

विषयः– विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत प्रवक्ता, तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रारूपकार के रिक्त पदों के विरूद्ध गेस्ट फेकल्टी से कार्य करवाने हेतु दिशा–निर्देश के अनुमोदन के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक एफ 8(1–ए)प्राशिनि/ई–1/सी–5/2022/5713 दिनांक 04.07.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख हैं कि राजकीय सहशिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत शिक्षा सत्र 2024–25 में प्रवक्ता, तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रारूपकार के रिक्त पदों के विरूद्ध गेस्ट फेकल्टी से कार्य करवाने हेतु शिक्षा सत्र 2022–23 एवं 2023–24 में जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही कार्यवाही किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(महेन्द्र कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मान0 उप मुख्यमंत्री महो0, तकनीकी शिक्षा।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा।
3. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, त.शि.।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Document certified by MAHENDRA KUMAR SHARMA <addljmr763@gmail.com>.
Digitally Signed by Mahendra Kumar Sharma
Designation : Joint Secretary To Government
Date :22-08-2024 04:29:31

RajKaj Ref No.: 9887789